न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर (राज.)

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या : 21/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि./नियम)

GCMS NO : 2024/18

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री ललित डांगी पिता श्री मांगीलाल डांगी विकेता एवं मालिक मैसर्स श्री धर्मराज मावा भण्डार धमानिया तह. वल्लभनगर स्थाई पता तहसील रोड वल्लभनगर जिला उदयपुर। मो. 9636919236

—विपक्षी

उपस्थित

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. स्वंय विपक्षी ।

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 28-06-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 05.11.2023 को दोपहर 08.30 ए.एम वास्ते चेकिंग मैसर्स श्री धर्मराज मावा भण्डार धमानिया तह. वल्लभनगर उदयपुर पर पहूँचे, वहां विपक्षी श्री ललित डांगी उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स श्री धर्मराज मावा भण्डार धमानिया तह. वल्लभनगर उदयपुर का मालिक/विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/ रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय पाया कि उक्त विक्रेता दुकान पर मावा बनाकर आम जनता को बिक्री करने का काम करता है। यहॉ स्टील के तगारे में करीब 20 कि.ग्रा. मावा आम जनता को बिकी वास्ते रखा पाया। सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त मावा अच्छीतरह से मिलाकर 1 कि.ग्रा. मावा वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

नम्बर V A पर दी। क्रय शुदा मावा की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 200 रू. नकद चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा मावा को विक्रेता तथा गवाहान की उपस्थिति में चार साफ, सुखे व खाली प्लास्टिक के जारों में बराबर मात्रा में भरकर (प्रत्येक जार मे 250 ग्राम) भरकर फार्मेलिन की 20 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मुँह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाइट बन्द किया, नियमानुसार सीलबन्द किये। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए–2501 का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा। साथ मे फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न. 6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/10423 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/930/एक्ट/2023/932 दिनांक 10.11.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Milk Fat(dry matter basis) minimum(m/m)% 30.0% min. होना चाहिए था कि जगह 20.46% पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/10422 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/2514 दिनांक 24.04.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को स्वंय आरोपी उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर अपने आरोप को स्वीकार किया एवं कम से कम जुर्माना राशि से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस प्रारंभ करते हुए न्याय निर्णयन आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अनुरोध किया कि वक्त निरीक्षण खाद्य उत्पाद मावा का सेम्पल लिया गया, जो खाद्य विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को भेजा जाने पर रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत उक्त खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के अर्न्तगत शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। अतः आरोपी को अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जावे।

विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जुर्म को स्वीकार किया एवं कम से कम जुर्माना राशि से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध न्याय निर्णयन आवेदन, विपक्षी के प्रार्थना पत्र , खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय पाया कि उक्त विक्रेता दुकान पर मावा बनाकर आम जनता को बिक्री करने का काम करता है। यहॉ स्टील के तगारे में करीब 20 कि.ग्रा. मावा आम जनता को बिकी वास्ते रखा पाया। सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त मावा अच्छीतरह से मिलाकर 1 कि.ग्रा. मावा वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। खाद्य विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को भेजा जाने पर रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत उक्त खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया हैं। **क्योंकि Milk Fat(dry matter basis) minimum(m/m)% 30.0% min. होना चाहिए था कि जगह 20.46% पाया गया।** प्रकरण मे अभियोजन पक्ष की ओर से की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार पाई जाती है। समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त उक्त खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना स्पष्ट जाहिर हैं।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/- शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मावा विक्रय करने से खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी को ₹1,00,000 अक्षरे एक लाख रूपया मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर